गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Upholding Safety of Women and Children

Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduces a dedicated chapter on offences against woman and child

Stringent Punishment for Offenders

The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 ensures strict penalties for crimes against women, with a focus on providing justice for victims of rape and sexual assault.

Enhanced punishment for offenders involved in heinous acts against women, emphasising the commitment to women's safety.

Offences against girls below 18 years of age face severe penalties, including life imprisonment or death sentence for exceptionally heinous cases.

Victim-centric Approach

New provisions ensure victims are heard before withdrawal of any case, thus recognising them as stakeholders in the legal process. Victims are given the right of being informed about the legal process. Section 199(c) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) has made failure to record any information in relation to certain sections such as rape, sexual assault against women, etc. given to a public servant a punishable offence.

Offences Against Children

Section 95 of BNS penalises the exploitation of children, punishing those who hire/engage/employ children for criminal activities.

It ensures that the person hiring or employing children for such purposes faces punishment.

Sections 96, 98 & 99 of BNS 2023 penalise procurement of children for labour or prostitution and buying or selling children for the purpose of prostitution. Sections 139(1),139(2), 141, 143(4), 143(5), 143(6), 144(1) BNS 2023 are sections dealing stringently against trafficking/maiming/importation of children.

Gender Neutrality and e-FIR

Various offences against woman and child have been made gender neutral in terms of both the victim and the perpetrator.

Victims can report offences by e-FIR. This aligns with the evolving socio-legal approach to empower victims to navigate the legal process without fear of stigma. This will contribute to the prompt reporting of such horrific crimes, which require immediate attention.

Victim's Right to Information

Victims now have the right to obtain a copy of the FIR free of cost, ensuring transparency in legal proceedings.

The law mandates informing victims about the progress of investigations within 90 days.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक समर्पित नया अध्याय पेश करता है

अपराधियों के लिए कड़ी सजा

भारतीय न्याय संहिता 2023 बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करता है।

महिलाओं के खिलाफ जघन्य कृत्यों में शामिल अपराधियों के लिए सजा में वृद्धि, महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर जोर।

18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ अपराध के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है, जिसमें सबसे जघन्य कृत्यों के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा शामिल है।

पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण

नए प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मामले को वापस लेने से पहले पीड़ितों की बात सुनी जाए, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया में भागीदार के रूप में मान्यता मिले। पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 (सी) के अनुसार एक लोक सेवक को बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न आदि जैसी कुछ धाराओं के संबंध में दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफलता दंडनीय अपराध है।

बच्चों के विरुद्ध अपराध

बीएनएस धारा 95 के तहत बच्चों का शोषण दंडनीय अपराध है। वे लोग जो बच्चों को आपराधिक गतिविधियों के लिए नियोजित करते है या उन्हें काम पर रखते है वे दंड के पात्र हैं।

कानून यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे उद्देश्यों के लिए बच्चों को काम पर रखने या नियोजित करने वाले व्यक्ति को सजा मिले।

बीएनएस 2023 की धाराएं 96, 98 और 99 श्रम या वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को हासिल करने तथा वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद-फरोख्त को दंडनीय बनाती है। बीएनएस 2023 की धाराएं 139(1), 139(2), 141, 143(4), 143(5), 143(6), 144(1) बच्चों की तस्करी, अपंगता और आयात के खिलाफ सख्ती से निपटने का प्रावधान करती हैं।

लिंग निरपेक्षता और ई-एफआईआर

विभिन्न यौन अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग निरपेक्ष बना दिया गया है।

पीड़ित ई-एफआईआर द्वारा अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया में भयमुक्त होकर भाग लेने को सुनिश्चित करता है। इससे संगीन अपराधों की त्वरित सूचना प्राप्त होगी और इन पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

पीड़ित का सूचना का अधिकार

कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, पीड़ितों को अब मुफ्त में एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।

कानून पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने और उन्हें समय पर अपडेट के साथ सशक्त बनाने का आदेश देता है।